माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम–केरता
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक–डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांकः 15.10.2006

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2022–23

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा की नियम एवं शर्ते

कारखाना स्थल : ग्राम–केरता, तहसील – प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

ठेकेदार का नाम व पता ....

....

....

दिनांक –

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर
Managing Director
MMSSK Ltd. Ambikapur

माँ महमाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम–केरता जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा वर्ष 2022–23

निविदा प्रपत्र

ई–निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1442(02) दिनांक 29/10/2022

ऑन लाईन ई–निविदा क्रमांक 113321

पेराई सत्र 2022–23 के लिए राखड को ट्रेक्टर. द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

1	पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स ....
2	फर्म का पता	:.. ....
3	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये **1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र)** वापसी योग्य नहीं है को **http://eproc.cgstate.gov.in** में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय/जमा करने की तिथि एवं समय	**दिनांक** 31/10/2022 **को शाम** 05.00 **बजे से दिनांक** 04/11/2022 **को समय दोपहर** 12.00 **बजे तक http://eproc.cgstate.gov.in** पे जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड़/अपलोड़ कर सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**दिनांक** 04/11/2022 **को समय दोपहर** 02.00 **बजे के बाद।**

6. अमानत/ई.एम.डी. राशि – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु **राशि रूपये 60,000.00 रूपये (शब्दों में :– साठ हजार रूपये मात्र)** कारखाने के खाते में **(खाता नं 50100497159999 HDFC Bank Ambikapur, IFSC Code -: HDFC0009495)** में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित – अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। **RTGS/NEFT/TRANSFER** के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, प्रथम एवं द्वितीय ई–निविदा हेतु जमा ई.एम.डी. राशि को मान्य किया जावेगा। ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी। ई.एम.डी. राशि जमा की पावती को ई–निविदा के भाग–1 में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम–केरता

राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु तृतीय ई–निविदा वर्ष 2022–23

1. पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का नाम :..

2. पता :..
:..
:..

3. मोबाईल नं. :..

4. ई–मेल आईडी. :..

5. जी.एस.टी. नम्बर :..
(छायाप्रति संलग्न करें)

6. फर्म का पैनकार्ड नम्बर :..
(छायाप्रति संलग्न करें)

7. लेबर ठेकेदारी पंजीयन क्रमांक :..
(छायाप्रति संलग्न करें)

8. वैधता की तिथि :..

9. बैंक का नाम :..

10. खाता क्रमांक :..

11. ई.एम.डी. जमा राशि : ....शब्दों में...................................

12. यू.टी.आर. नम्बर : ....

13. कारखाने का बैंक एवं शाखाः ....
(जिसमें ई.एम.डी. जमा की गई है)

निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) केरता

—:: निविदा की शर्तें ::—

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1442(02) दिनांक 29/10/2022

1. निविदाकार को तकनीकी भाग–2 के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नम्बर की छायाप्रति, लेबर ठेकेदारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ई.एम.डी. जमा की रसीद का छायाप्रति, एवं 02 वर्ष का आयकर रिटर्न का छायाप्रति अथवा 02 वर्ष का बैलेन्सशीट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (सहकारी समितियों को आयकर अथवा बैलेन्सशीट हेतु छुट दी जावेगी)

2. निविदाकार ठेकेदार का पंजीयन श्रम अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग से पंजीयन होना अनिवार्य है।

3. राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य 24 घण्टे का है इस कार्य हेतु 02 ट्रेक्टर स्वयं का या अनुबंधित होने पर स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र एवं 02 ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा संलग्न कर निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य हेतु ट्रेक्टरों में लगने वाला डीजल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना होगा कारखाना से डीजल नही दी जावेगी।

5. तकनीकी भाग–2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं व्यावसायीक भाग–3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।

6. राखड़ को ट्रेक्टर द्वारा हेण्डलिंग कार्य का दर प्रति ट्रेक्टर प्रति दिवस समस्त लेबर एवं समस्त कर सहित दिया जाना होगा एवं देयक भुगतान हेतु जी.एस.टी. देयक दिया जाना अनिवार्य होगा। एवं जी. एस.टी. समय पर भगतान किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कारखाना को जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया जा सके जी.एस.टी. का क्रेडिट नही मिलने पर ई.एम.डी. अथवा अन्य देयक राशि से कटौती की जावेगी।

केरता

7. बॉयलर हाउस से राखड़ को हटाने के लिए लगाए गये मजदूरों का बीमा अनिवार्य है।

8. राखड़ को नर्सरी में वॉच टावर के पास चीफ इंजीनियर/चीफ केमिस्ट/C.D.O के बताये गये स्थान पर सुव्यवस्थित स्थान पर रखना होगा। उसके अलावा अन्य किसी स्थान या रास्ते में डाले जाने पर या गिर जाने पर 20,000 रूपये (बीस हजार) की राशि कटौती की जायेगी।

9. राखड़ के लिए प्रत्येक पाली में बायलर के नीचे **चार मजदुर** एवं E.S.P के नीचे **चार मजदुर** रखना अनिवार्य है।

10. ब्यायलर के नीचे एवं E.S.P के नीचे एवं राखड में नियमित रूप से पानी मारते रहना अनिवार्य होगा।

11. राखड़ में प्रत्येक पाली में मजदूर एवं ट्रैक्टर नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

12. बॉयलर हाउस और E.S.P फ्लोर के नीचे एवं आस-पास नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य है।

13. आई.डी. एफ.डी. एवं चिमनी R.O के आस-पास और बॉयलर के आस-पास का रास्ता नियमित रूप से सफाई करना अनिवार्य होगा। अगर किसी कारण सफाई नहीं हुआ तो उस दिन का भुगतान नहीं किया जायगा।

14. राखड़ हैण्डलिंग के लिए प्रत्येक पाली में 02 ट्रैक्टर/02 ड्राईवर रखना अनिवार्य होगा। नहीं पाये जाने पर उस दिन की राशि भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. आवश्यकता पड़ने पर लाईम ETP को पहुचाने का कार्य करना आपको अनिवार्य होगा।

16. राखड़ हैण्डलिग कार्य की देख-रेख हेतु एक सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा जिसको कार्य का रिपोर्टिंग बॉयलर इंचार्ज एवं शिफ्ट इंजीनियर को देना अनिवार्य होगा।

17. राखड़ निर्धारित जगह पर अलग-अलग क्रमानुसार सुव्यवस्थित रूप से रखना अनिवार्य होगा। C.D.O के स्वीकृति के बाद ही बिल का भुगतान किया जायेगा।

18. निर्धारित स्थान पर आवश्यकतानुसार राखड़ को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु प्रत्येक पाली में आवश्यकतानुसार मजदूर रखना अनिवार्य होगा।

19. अपने मजदूरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

20. प्रत्येक मजदूर को हेलमेट, सेफ्टी शुज, गॉगल, युनिफार्म, मास्क एवं ठेकेदार के साईन सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

21. राखड़ प्रत्येक पाली के अनुसार अपने मजदूरों का हाजरी का मास्टर अपने सुपरवाईजर द्वारा रखना अनिवार्य होगा जिसमें प्रति पाली प्रति दिन बॉयलर इंचार्ज/शिफ्ट इंजीनियर/चीफ इंजीनियर का साईन कराना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा।

22. किसी भी प्रकार का वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही सुनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।

23. अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/ प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने सम्बंधित पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकार ठेकेदार/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

मॉं महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) केरता

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं...फर्म..
प्रतिनिधि का नाम...पिता का नाम
....फर्म का पता...
....मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड किया गया दर न्यून्तम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।

2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।

3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।

4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।

5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांक ....में राशि रूपये...................... दिनांक..........................को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हॅू।

निविदाकार का हस्ताक्षर

केरता